



CITY UNION BANK

क्रेडिट कार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण नियम एवम् शर्तें

अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें और इसमें दी गई सभी जानकारी सभी क्रेडिट कार्ड धारकों / क्रेडिट कार्ड के आवेदकों / बैंक के ग्राहकों / बैंक के क्रेडिट कार्ड उत्पाद में दिलचस्पी दिखाने वाले आम लोगों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगी। एमआईटीसी बदली जा सकती है। यह एमआईटीसी बैंक के कार्ड होल्डर अनुबंध में दिए गए नियम व शर्तों के अलावा हैं और इन्हें उन्हीं के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

A. शुल्क और प्रभार

1. शामिल होते समय, वार्षिक तथा बाद में अतिरिक्त कार्ड शुल्क

क्रेडिट कार्ड के प्रकार	ज्वाइनिंग शुल्क (₹) कार्ड सक्रिय होने के बाद लागू)*	अगले वर्ष से वार्षिक शुल्क (₹)*	अतिरिक्त कार्ड शुल्क (एक बार का शुल्क)
CUB CSK RUPAY प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	निःशुल्क	निःशुल्क	₹500+जीएसटी
CUB SRH RUPAY प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	निःशुल्क	निःशुल्क	₹500+जीएसटी
CUB CSK MASTER प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	निःशुल्क	₹1000+जीएसटी (₹3 लाख खर्च करने पर छूट)	₹500+जीएसटी
CUB SRH MASTER प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	निःशुल्क	₹1000+ जीएसटी (₹3 लाख खर्च करने पर छूट)	₹500+जीएसटी
CUB CSK MASTER WORLD क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	निःशुल्क	₹4000+जीएसटी (₹5 लाख खर्च करने पर छूट)	₹500+जीएसटी
CUB SRH MASTER WORLD क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	निःशुल्क	₹4000+जीएसटी (₹5 लाख खर्च करने पर छूट)	₹500+जीएसटी

2. वित्त/ब्याज शुल्क

क्रेडिट कार्ड के प्रकार	क्रेडिट अवधि बढ़ाने पर ब्याज		नकद अग्रिम पर ब्याज	
	मासिक दर	वार्षिक दर	मासिक दर	वार्षिक दर
CUB SRH RUPAY प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक

CUB SRH RUPAY प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (आजीवन निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB CSK MASTER प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB SRH MASTER प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB CSK MASTER WORLD क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक
CUB SRH MASTER WORLD क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष निःशुल्क)	3.5% मासिक	42% वार्षिक	3.5% मासिक	42% वार्षिक

3. वित्त / ब्याज शुल्क विवरण

यदि कार्ड मेंबर भुगतान की नियत तिथि (कार्ड स्टेटमेंट के अनुसार) तक पिछला बिल पूरा नहीं चुकाता है, तो उस पर ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज की गणना ट्रांज़ैक्शन की तारीख से लेकर बकाया राशि के पूर्ण भुगतान (सेटलमेंट) की तारीख तक की जाती है। यदि कार्ड मेंबर रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा का उपयोग कर रहा है, तो पिछले स्टेटमेंट का अनपेड बैलेंस (अदत्त शेष) और कोई भी नया ट्रांज़ैक्शन (क्रेडिट कार्ड पर लोन के लिए बिल की गई ईएमआई सहित) पर, कुल बकाया राशि के पूर्ण भुगतान की तारीख तक ब्याज लगेगा। सभी कैश एडवांस पर निकासी की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक ब्याज लिया जाएगा। फीस, शुल्क और जीएसटी पर ब्याज नहीं लगेगा। ग्राहक द्वारा किए गए खर्चों, पहले से लगे हुए ब्याज और ईएमआई पर ब्याज लगना जारी रहेगा।

4. अन्य शुल्क तथा प्रभार

विलंब भुगतान शुल्क	₹ 25,000 तक का बकाया: ₹ 350/- ₹ 25,000 से ज़्यादा का बकाया: ₹ 450/-
सीमा से अधिक शुल्क	ओवर लिमिट अमाउंट का 3%, कम से कम ₹250/-
सीमा वृद्धि शुल्क	₹200 प्रति अवसर
चेक वापसी प्रभार /अमान्य चेक शुल्क	₹300 प्रति चेक वापसी
कार्ड पुनः जारी करने/प्रतिस्थापन शुल्क	₹300
पिन मेलर दोबारा जारी करने का शुल्क	लागू नहीं
विदेशी मुद्रा लेनदेन शुल्क (मार्क अप शुल्क) /डीसीसी शुल्क	ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 3.5% (सीएसके/एसआरएच मास्टर वर्ल्ड वेरिएंट) के लिए ट्रांज़ैक्शन अमाउंट का 0%
किराया अधिभार	किए गए लेनदेन के मूल्य का 1%

वॉलेट लोड ट्रांज़ैक्शन शुल्क (1 अक्टूबर 2025 से लागू)	किए गए लेनदेन के मूल्य का 1%
फ्यूल ट्रांज़ैक्शन फीस (1 अक्टूबर 2025 से लागू)	हर स्टेटमेंट साइकिल में फ्यूल ट्रांज़ैक्शन पर कुल 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च करने पर 1% शुल्क लगेगा
यूटिलिटी ट्रांज़ैक्शन शुल्क (1 अक्टूबर 2025 से लागू)	हर स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी ट्रांज़ैक्शन पर कुल 25,000 रुपये या उससे ज़्यादा खर्च पर 1% फ़ीस लगेगी
ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग ट्रांज़ैक्शन शुल्क (1 अक्टूबर 2025 से लागू)	हर स्टेटमेंट साइकिल में ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग ट्रांज़ैक्शन पर INR 10,000 या उससे ज़्यादा के कुल खर्च पर 1% शुल्क लगेगा
विवरण पुनर्प्राप्ति शुल्क	स्टेटमेंट रिकेस्ट >3 महीने ₹50 प्रति स्टेटमेंट
चार्ज स्लिप रिट्रीवल शुल्क	₹250
एटीएम से बैलेंस पता करना	शहर के बैंक ATM -शून्य दूसरे बैंक ATM पर-₹50/-
भारत में किसी भी एटीएम से कैश निकालना	कैश निकालने की रकम का 3% या ₹250 जो भी ज़्यादा हो
विदेश में किसी भी एटीएम से कैश निकालना	कैश निकालने की रकम का 3.5% या ₹1000, जो भी ज़्यादा हो
ईंधन अधिभार माफ़ी	• पूरे भारत में सभी ईंधन स्टेशनों पर ईंधन खरीद पर 1% ईंधन अधिभार माफ़ी. • सिर्फ़ ₹400 से ₹3,000 के बीच के ट्रांज़ैक्शन पर मान्य • हर स्टेटमेंट साइकिल पर ₹300 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा • सीएसके/एसआरएच रुपये प्लेटिनम आजीवन मुफ्त अन्य कार्ड के लिए) • पूरे भारत में सभी ईंधन स्टेशनों पर ईंधन खरीद पर 1% ईंधन अधिभार माफ़ी. • सिर्फ़ ₹400 से ₹5,000 के बीच के लेन-देन पर मान्य • हर स्टेटमेंट साइकिल पर ₹500 का अधिकतम फ़ायदा • (सीएसके / एसआरएच मास्टर प्लैटिनम और सीएसके / एसआरएच मास्टर वर्ल्ड फ़र्स्ट ईयर शुल्क और पेड वेरिएंट कार्ड के लिए)
कार्ड ब्लॉक करने का शुल्क	निःशुल्क
एडऑन कार्ड जारी करने का शुल्क	₹500
की-चेन एफओबी जारी करने का शुल्क	₹400
मास्टर प्लैटिनम और मास्टर वर्ल्ड कार्ड होल्डर्स के लिए फिजिकल रुपये कार्ड जारी करने का शुल्क	₹250
ईएम आई कन्वर्ज़न का शुल्क	2%, न्यूनतम ₹ 200/- और अधिकतम ₹1,000/-
ईएमआई के फोरक्लोज़र का शुल्क	बकाया राशि का 5%

Note:

- I. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सभी शुल्क, ब्याज और दूसरे प्रभारों पर लागू होता है और भारत सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसार बदल सकता है।
- II. सिटी यूनिन बैंक के पास जब भी उचित लगे, समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में बदलाव करने या कोई नया प्रभार या शुल्क लगाने का अधिकार है, और इसकी जानकारी कार्ड धारक को कम से कम एक महीने पहले दे दी जाएगी।

5. विलंब भुगतान शुल्क:

अगर भुगतान देय तिथि तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है या न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान प्राप्त होता है, तो कार्ड धारक से विलंब भुगतान शुल्क लिया जाएगा। विलंब भुगतान शुल्क से बचने के लिए, भुगतान देय तिथि पर या उससे पहले सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड खाते में स्पष्ट राशि जमा होनी चाहिए। विलंब भुगतान शुल्क सिर्फ बकाया राशि (देय तिथि से पहले प्राप्त किसी भी भुगतान को घटाकर) लगेगा पर, संपूर्ण राशि पर नहीं।

6. नकदी आहरण शुल्क:

कार्ड धारक सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भारत या विदेश में एटीएम से कैश निकालने के लिए कर सकता है, यह क्रेडिट कार्ड आवेदन के समय चुनी गई उसकी पसंद पर निर्भर करता है, बशर्ते कि वह एटीएम सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड के अनुकूल हो। ऊपर बताए गए प्रभार के हिसाब से ऐसे आहरण पर लेन-देन शुल्क लगेगा और अगले स्टेटमेंट में कार्ड धारक को बिल किया जाएगा। यह सिटी यूनिन बैंक का प्रभार है। कुछ एटीएम आहरण प्रभार लगा सकते हैं, जो सिटी यूनिन बैंक से नहीं जुड़े हैं।

7. क्रेडिट सीमा से अधिक शुल्क:

सिटी यूनिन बैंक कार्ड धारकहोल्डर के कुछ ऐसे ट्रांज़ैक्शन को मंजूरी दे सकता है जो क्रेडिट सीमा से ज्यादा हों, यह आंतरिक नीति, लेन-देन पात्रता, ग्राहक कस्टमर प्रोफ़ाइल और ग्राहक की सहमति पर निर्भर करता है। अगर बकाया राशि जमा राशि से अधिक है, तो जमा राशि की सीमा से अधिक राशि पर 3% (कम से कम ₹ 250) क्रेडिट सीमा से अधिक शुल्क लगेगा। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज, कोई भी प्रभार/शुल्क और टैक्स क्रेडिट सीमा से अधिक शुल्क की गणना करने में शामिल नहीं किए जाएंगे। सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट सीमा से अधिक की सुविधा लेने वाले कार्ड धारक से स्पष्ट मंजूरी लेगा।

8. रेंटल सरचार्ज:

एमसीसी 6513 द्वारा चिह्नित प्रत्येक किराया भुगतान के लिए, प्रत्येक लेन-देन पर 1% रेंट सरचार्ज शुल्क लगेगा। कर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से लगेगा। उदाहरण के लिए- अगर आप अपने सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए किसी थर्ड-पार्टी किराया भुगतान प्लेटफ़ॉर्म से ₹ 20,000 का भुगतान करते हैं, तो लेन-देन राशि का 1% अर्थात ₹ 200 और कर सरचार्ज शुल्क लगेगा। यह हर ट्रांज़ैक्शन लगेगा पर।

9. वॉलेट लोड लेन-देन शुल्क:

एमसीसी कोड 6538, 6539, 6540, 6541, और 6542 द्वारा चिह्नित हर वॉलेट लोड लेन-देन पर, लेन-देन राशि का 1% वॉलेट लोड लेन-देन शुल्क लगेगा। इस शुल्क के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर भी

लगेगे। उदाहरण के लिए- अगर आप अपने सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर किसी थर्ड-पार्टी वॉलेट में ₹ 10,000 डालते हैं, तो ₹ 10,000 का 1% = ₹ 100, तथा लागू कर, वॉलेट लोड लेन-देन शुल्क के रूप में लगेगे। यह हर लेन-देन लगेगा पर।

10. ईंधन लेन-देन शुल्क:

हर स्टेटमेंट साइकिल में ₹ 50,000 या उससे ज़्यादा के ईंधन लेन-देन पर किए गए कुल खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। ईंधन लेन-देन की पहचान एमसीसी 5983, 5541, 5542 और 5172 द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर लगेगा। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, अगर आपके सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड से ईंधन लेन-देन पर आपका कुल खर्च (सभी लेन-देन मिलाकर) ₹ 50,000 है, तो लेन-देन राशि का 1% यानी ₹ 500 तथा कर सरचार्ज शुल्क के रूप में लिया जाएगा। इसी तरह, मान लें कि किसी खास स्टेटमेंट साइकिल में ईंधन लेन-देन पर आपका कुल खर्च ₹ 30,000 है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

11. यूटिलिटी लेन-देन शुल्क:

हर स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी भुगतान पर ₹ 25,000 या उससे अधिक के कुल खर्च पर 1% शुल्क लगेगा। यूटिलिटी पर किया गया लेन-देन 4814, 4899, 4900 द्वारा चिह्नित होता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर लगेगा। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, अगर आपके सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भुगतान पर आपका कुल खर्च (सभी सभी लेन-देन सहित) ₹ 25,000 है, तो लेन-देन राशि का 1% यानी ₹ 250 तथा टैक्स सरचार्ज शुल्क के रूप में लगेगा। इसी तरह, मान लें कि किसी खास स्टेटमेंट साइकिल में यूटिलिटी लेन-देन पर आपका कुल खर्च ₹ 20,000 है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

12. ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग लेन-देन शुल्क:

एमसीसी 5816 द्वारा चिह्नित ऑनलाइन स्किल-बेस्ड गेमिंग लेन-देन पर, अगर किसी स्टेटमेंट साइकिल में कुल खर्च ₹ 10,000 या उससे अधिक है, तो 1% का सरचार्ज शुल्क लगेगा। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दर से कर लगेगे। उदाहरण के लिए - एक स्टेटमेंट साइकिल में, अगर सिटी यूनिन बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आपका कुल खर्च (सभी लेन-देन सहित) ₹ 13,000 है, तो लेन-देन राशि का 1% यानी ₹ 130 तथा कर सरचार्ज शुल्क के लिए लिया जाएगा। इसी तरह, मान लें कि किसी खास स्टेटमेंट साइकिल में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर आपका कुल खर्च ₹ 6000 है, तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा।

B. क्रेडिट और नकदी आहरण / अग्रिम पर शुल्क:

- **क्रेडिट लिमिट:** यह सिटी यूनिन बैंक द्वारा आंकलन के पश्चात कार्ड धारक को दी गई अधिकतम जमा राशि सीमा है। क्रेडिट लिमिट कार्ड खाते से जुड़ी होती है और इसमें सभी लेन-देन, शुल्क और प्रभार शामिल होते हैं। कुल बकाया देय राशि इस सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- **नकदी सीमा:** यह कार्ड धारक को दी गई नकदी निकालने की अधिकतम सीमा है। यह क्रेडिट लिमिट से कम होती है और ओवरऑल क्रेडिट लिमिट का एक भाग है।
- **कैश निकालने पर लेन-देन शुल्क:** एटीएम से पैसे निकालने पर लेन-देन शुल्क लगेगा, और लेन-देनक्शन की तारीख से ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। वर्तमान शुल्क दर के लिए कृपया एमआईटीसी देखें।
- **उपलब्ध क्रेडिट सीमा:** इसका तात्पर्य है कार्ड खाते पर कुल बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए कार्ड धारक के लिए उपलब्ध बची हुई राशि। बाद में जोड़े गए कार्ड धारक मूल कार्ड धारक की क्रेडिट सीमा साझा करते हैं।
- **उपलब्ध नकद सीमा:** इसका मतलब है बची हुई नकद सीमा, जिसे किसी भी बकाया नकदी आहरण को ध्यान में रखकर गणना की जाती है।
- **इंटरनेशनल लिमिट:** यदि समर्थ की गई है, तो यह वेलकम किट में बताई गई इंटरनेशनल लेन-देनक्शन की सीमा है। कार्ड का इस्तेमाल भारत और विदेश में किया जा सकता है, लेकिन नेपाल और / या भूटान में विदेशी

करेंसी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह कार्ड भारत, नेपाल और भूटान में पार्टिसिपेटिंग मर्चेन्ट संस्थानों में विदेशी मुद्रा में पेमेंट के लिए मान्य नहीं है, यानी नेपाल या भूटान में कार्ड का इस्तेमाल करते समय लेन-देन की मुद्रा उन देशों की स्थानीय मुद्रा या भारतीय रुपये में होनी चाहिए।

- **एकाधिक कार्ड्स-राशि का बंटवारा:** जिन ग्राहकों के पास कई सिटी यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके लिए जमा और नकदी राशि की सीमा सभी कार्ड्स पर बांटी जाती है। एक कार्ड का उपयोग सभी जुड़े कार्ड्स के लिए उपलब्ध जमा पर असर डालेगा।
- **क्रेडिट लिमिट में बदलाव:** सिटी यूनियन बैंक आंतरिक दिशा निर्देशों के हिसाब से क्रेडिट लिमिट बदलने का अधिकार रखता है। बदलावों के बारे में कार्ड धारकों को कम से कम एक महीने पहले बताया जाएगा।
- **रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश:** कार्ड डिफॉल्ट रूप से घरेलू लेन-देन हेतु सक्षम होते हैं, लेकिन कार्ड धारक बैंक चैनल के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन, संपर्क रहित भुगतान, या ऑनलाइन लेन-देन को चालू या बंद कर सकता है। कार्ड जारी करना और उपयोग में लाना भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, **आरबीआई** के एक्सचेंज कंट्रोल नियमों, विदेशी लेन-देन प्रबंधन एक्ट (**फैमा**), **फैमा** के तहत बनाए गए सभी नियमों और विनियमों, जारी की गई अधिसूचनाओं / सर्कुलर और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य संबंधित कानून के अधीन होगा।

साख मुक्त समयावधि

- **ग्रेस पीरियड:** लेन-देन की तारीख के हिसाब से, ब्याज-मुक्त साख समयावधि 20 से 48 दिनों तक हो सकता है। अगर पिछले महीने के बिल का कोई भी बकाया का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो मौजूदा स्टेटमेंट के लिए ब्याज-मुक्त साख समयावधि रोक दी जाएगी।

ब्याज-मुक्त समयावधि की गणना का दृष्टांत:

बिलिंग की तारीख: 18 अगस्त | भुगतान देय तारीख: 5 अक्टूबर

- 19 अगस्त की खरीदारी के लिए, ब्याज-मुक्त समयावधि 19 अगस्त से 5 अक्टूबर तक है, यानी 47 दिन।
- 15 सितंबर की खरीदारी के लिए, ब्याज-मुक्त समयावधि 15 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है, यानी 20 दिन।

इस तरह ब्याज-मुक्त समयावधि बिलिंग साइकिल में खरीदारी की तारीख के आधार पर अलग-अलग होगी। हालांकि, यदि पिछले महीने का कुल राशि भुगतान देय तिथि तक पूरी नहीं चुकाई जाती है, तो ब्याज-मुक्त साख समयावधि लागू नहीं होगी, और वित्तीय प्रभार लेन-देनक्शन की तारीख से लगेंगे। अग्रिम नकदी के लिए, लेन-देन की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज लगता है, और कोई बायज-मुक्त समयावधि लागू नहीं होती है।

C. बिलिंग और स्टेटमेंट

- i. **विवरण वितरण - समय और भेजने का तरीका:** मासिक खाता विवरण (ई-स्टेटमेंट) बैंक के अभिलेख के अनुसार, कार्ड धारक के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। खाता विवरण में पिछले महीने के सभी कार्ड लेन-देन और पिछले विवरण के बनने और मौजूदा विवरण के बीच के समय में कार्ड खाते में जोड़े गए लेन-देन का ब्यौरा होता है।
- ii. **न्यूनतम देय राशि (MAD):** कार्ड धारक केवल न्यूनतम देय राशि अमाउंट ड्यू देने का विकल्प चुन सकते हैं। कुल देय राशि या MAD भुगतान देय तिथि से पहले देना होगा।
- iii. **बिलिंग विवाद:** कार्ड धारकों को खाता विवरण मिलने के 7 दिनों के भीतर किसी भी गड़बड़ी के बारे में सिटी यूनियन बैंक को बताना होगा।
- iv. **भुगतान आवंटन:** भुगतान निम्न क्रम में आवंटित किया जाएगा
 - a. वस्तु एवम सेवा कर (जीएसटी)
 - b. शुल्क एवम प्रभार

- c. ब्याज प्रभार
 - d. ईएमआई (समान मासिक किश्तें)
 - e. खरीद
 - f. अग्रिम नकदी
- v. भुगतान असफल होना: अगर भुगतान असफल होता है, तो सिटी यूनिजन बैंक क्रेडिट कार्ड निरस्त या वापस ले सकता है और उचित शुल्क लगा सकता है।
- vi. विवरण की नकल: कार्ड धारक शुल्क अदा कर विवरण की नकल मांग सकते हैं।
- vii. क्रेडिट कार्ड से भुगतान के तरीके: आपके पास ये चैनल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट कार्ड खाते में भुगतान कर सकते हैं::
- a. सीयूबी की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा या मोबाइल ऐप का उफजोग कर खाता स्थानांतरित करना.
 - b. क्रेडिट कार्ड पोर्टल द्वारा: <https://creditcard.cubonline.in/cubcredportal/cub>
 - c. सीधे भुगतान पोर्टल द्वारा: <https://creditcard.cubonline.in/cubcredportal/cubpay>
 - d. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के ज़रिए प्राधिकृत बैंकों और भुगतान प्लेटफॉर्म के ज़रिए

आपको सलाह दी जाती है कि आप पूरी सावधानी बरतें और हमारे बताए गए तरीकों के सिवा किसी और तरीके से भुगतान न करें। अगर ऐसा कोई भुगतान किया जाता है, तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

1. ब्याज कैलकुलेशन का उदाहरण

स्टेटमेंट साइकिल विवरण

- स्टेटमेंट साइकिल: एक महीने की 23 तारीख से अगले महीने की 22 तारीख तक
- स्टेटमेंट बनने की तारीख: हर महीने की 23 तारीख
- ब्याज दर :3.5% मासिक

दृष्टांत

प्रकार	लेन-देन की तिथि	राशि
खरीददारी	14 जनवरी 2025	10000
भुगतान प्राप्ति	10 फरवरी 2025	7000

प्रकार	लेन-देन तिथि	बकाया राशि	अद्यतन	दिन	ब्याज दर	ब्याज
खरीददारी	14-जनवरी -25	10000	22-जनवरी-25	9	3.50% मासिक	105
23/जनवरी /2025 को प्रारंभिक जमा		10000	09-फरवरी-25	18	3.50% मासिक	210
10/फरवरी /2025 को ₹ 7000 का भुगतान	10-फरवरी-25	3000	22-फरवरी25	13	3.50% मासिक	45.5
					कुल	360.5

कृपया ध्यान दें कि ऊपर दिए गए उदाहरण में ब्याज की गणना 3.50% मासिक की दर से की गई है।

कार्ड धारक द्वारा देय मौजूदा बकाया राशि पर रोज़ाना ब्याज की गणना की जाती है। अगर कुल राशि देय तिथि तक नहीं चुकाई जाता है, तो ब्याज लगता है। साथ ही, लेन-देन की तारीख से भुगतान की तारीख तक सभी अग्रिम नकदी पर ब्याज लगेगा। आरंभ में 3.50% हर महीने (42% हर साल) की ब्याज दर लागू होगी। बैंक अपनी मर्जी से, ग्राहक की साख इतिहास, खरीदने के पैटर्न, भुगतान व्यवहार, निष्ठा और वॉटेज जैसे कारकों के आधार पर ब्याज दर बदल सकता है। ब्याज दर गतिशील हैं और सिटी यूनियन बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा के आधार पर बदल सकते हैं।

2. न्यूनतम देय राशि (MAD) संगणन तर्क

MAD:

- सभी खरीदारी और कैश आहरण के योग का 5%
- सभी ब्याज / वित्तीय प्रभावों, शुल्क और कर का 100%

उदाहरण:

- ₹5,000 की खरीदारी: MAD अभिदान ₹250 (₹5,000 का 5%) है
- संबद्ध होने का शुल्क ₹1000: पूर्णतया MAD में शामिल है
- संबद्ध होने के शुल्क पर जीएसटी (₹180): पूरी तरह से MAD में शामिल है
- ₹ 2,000 का नकदी आहरण: MAD में ₹ 100 (₹2,000 का 5%) जुड़ता है
- ₹500 की नकदी आहरण शुल्क और ₹90 का जीएसटी: पूरा शामिल है
- नकदी आहरण पर ₹35.99 का ब्याज और जीएसटी ₹6.48: पूरा शामिल है
- कुल बकाया: ₹8,812.47
- MAD: ₹ 2,162.47

अगर कार्ड धारक भुगतान देय तिथि (शाम 6 बजे) तक न्यूनतम देय राशि (MAD) नहीं अदा कर पाता है, तो सिटी यूनियन बैंक को MAD वसूली के लिए उसी ग्राहक पहचान (Customer ID) से संबद्ध कार्ड धारक के बचत या चालू खाता के नामे डालने का अधिकार होगा। अगर भुगतान देय तिथि + 1 दिन तक MAD का भुगतान नहीं होता है, तो बैंक को कार्ड धारक के बैंक के किसी भी खाते में रखे किसी भी जमा या जमा राशि पर MAD के लिए जनरल लियन मार्क करने का अधिकार होगा, और बैंक बिना किसी अन्य सूचना के ऐसे अकाउंट / एसेट्स से बकाया रकम रिकवर कर सकता है।

D. डिफॉल्ट

डिफॉल्ट होने पर, यानी अगर न्यूनतम राशि देय तिथि तक नहीं लौटाई जाती है या इस करार के किसी भी उपधारा का उल्लंघन होता है, तो सिटी यूनियन बैंक समय-समय पर पोस्ट, फैक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस मैसेजिंग, और/या बकाया वसूलने के लिए नियुक्त थर्ड पार्टी के ज़रिए कार्ड धारक को अनुस्मारक भेजेगा। इस तरह नियुक्त कोई भी थर्ड पार्टी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) के बकाया वसूली कोड का पालन करेगी।

सिटी यूनियन बैंक भुगतान देय तिथि से 3 दिन बाद का ग्रेस पीरियड देता है, जहाँ भुगतान अतिदेय नहीं हैं। यह सुविधा भुगतान प्रक्रिया समय को ध्यान में रखकर दी जाती है, लेकिन कार्ड धारक को खाता विवरण में बताई गई राशि का भुगतान देय तिथि तक अदा करना होगा।

सिटी यूनियन बैंक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (सीआईसी) को कार्ड खाते को 'पास्ट ड्यू' के तौर पर रिपोर्ट करेगा और अगर कार्ड अकाउंट 3 दिन से ज़्यादा 'पास्ट ड्यू' रहता है, तो लेट पेमेंट चार्ज लगाएगा। हालांकि, 'दिनों के पास्ट ड्यू'

की संख्या और देरी भुगतान प्रभार की, खाता विवरण में बताई गई भुगतान देय तिथि से गणना की जाएगी।

अगर कार्ड धारक कोई चूक करता है, तो सिटी यूनियन बैंक, अपनी मर्जी से, निम्न करने का हकदार होगा:

- a. कार्ड होल्डर से सभी क्रेडिट कार्ड सुविधाएँ वापस ले लें
- b. कार्ड होल्डर से कहें कि वे अपने कार्ड का सारा बकाया तुरंत अदा करें।
- c. यह सहमति हुई है कि बैंक, किसी भी समय और बिना किसी सूचना के, कार्ड सदस्य के सभी पैसों पर लियन और सेट-ऑफ का अधिकार रखेगा, जो बैंक के किसी भी अकाउंट में या बैंक के कब्जे या कस्टडी में उसके खाते में उपलब्ध हैं। अगर बैंक के मांगने पर, कार्ड खाते पर बकाया राशि तय समय के अंदर नहीं अदा की जाती है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और कार्ड मेंबर की किसी भी प्रॉपर्टी, जो बैंक के पास या कस्टडी में है, चाहे वह सुरक्षित रखने के लिए हो या किसी और काम के लिए, जिसमें कार्ड मेंबर के डीमैटेरियलाइज्ड शेयर या दूसरी सिक्योरिटीज़ शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, और जो बैंक के पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के तौर पर हैं, में जमा ऐसे क्रेडिट बैलेंस को कार्ड अकाउंट के तहत बकाया रकम में एडजस्ट किया जा सकता है। किसी भी कमी के मामले में, बैंक कार्ड मेंबर से कमी की रकम वसूल सकता है।

डिफॉल्ट होने पर, सिटी यूनियन बैंक डिफॉल्ट रिपोर्ट को क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या कानून द्वारा मंजूर दूसरी एजेंसियों को भेज सकता है। भुगतान देय तिथि और खाता विवरण में बताई गई बिलिंग तिथि के बीच का समय, कार्ड धारक को डिफॉल्टर के तौर पर रिपोर्ट करने के लिए नोटिस पीरियड माना जाता है।

डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और बकाया समाधान के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट कितने समय में वापस ली जाएगी, नीचे दी गई है:

- सिटी यूनियन बैंक, कार्ड धारक का डेटा महीने में दो बार (रिपोर्ट करने की तिथि और महीने के आखिर की रिपोर्टिंग की कालावधि) CIBIL द्वारा बताए गए फॉर्मेट में CIBIL-क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड को भेजता है। इस डेटा में पिछले महीने के सभी कार्ड होल्डर, चाहे वे डिफॉल्टर हों या मौजूदा, का रीपेमेंट स्टेटस शामिल होता है। CIBIL उसे भेजा गया डेटा अगले तीस दिनों में अपने सर्वर पर अपलोड करता है।
- अगर कार्ड धारक सुलह समझौते का विकल्प चुनता है या ऐसे मामलों में जहां खाता राइट ऑफ़ कर दिया गया है, सीआईसीएस को क्रमशः समाधान और राइट ऑफ़ के रूप में अद्यतन किया जाएगा।

कार्ड धारक की मृत्यु होने या हमेशा के लिए अशक्तता की स्थिति में, पूरा बकाया विवरण (बिना बिल वाले लेन-देन सहित) तुरंत सिटी यूनियन बैंक को अदा करना होगा। सिटी यूनियन बैंक कार्ड धारक की जायदाद से पूरा बकाया वसूलने का हकदार होगा और कार्ड धारक की जायदाद सिटी यूनियन बैंक को ऐसे बकाया को वसूलने में होने वाले सभी खर्चों, जिसमें विधिक शुल्क और खर्च शामिल हैं, से हर्जाना देगी। सिटी यूनियन बैंक, कार्ड धारक के नाम पर सिटी यूनियन बैंक में रखे गए पैसे/डिपॉजिट/अकाउंट से भी पूरा बकाया वसूलने का हकदार होगा।

1. स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के तौर पर वर्गीकरण

विनियामक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, लोन देने वालों को डिफॉल्ट होने पर तुरंत लोन लेने वालों के अकाउंट में शुरुआती स्ट्रेस की पहचान कर, उन्हें स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (एसएमओ) के रूप में वर्गीकृत करना ज़रूरी है। कर्जदार के अकाउंट को एसएमओ और एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना, उस तारीख के डे-एंड प्रोसेस के भाग के तौर पर किया जाएगा, और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तारीख

वह कैलेंडर तारीख होगी जिसके लिए डे-एंड प्रोसेस चलाया जाता है। इसलिए, एसएमए / एनपीए की तारीख उस कैलेंडर तारीख के डे-एंड पर अकाउंट के वर्गीकरण अवस्था को दर्शाएगी। क्रेडिट कार्ड खातों के लिए, एसएमए के रूप में वर्गीकरण तभी शुरू होगा जब न्यूनतम देय राशि (MAD) का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है। ऐसे क्लासिफिकेशन का एक उदाहरण इस प्रकार है:

- **एसएमए 0** - अगर किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तारीख तक न्यूनतम देय राशि (MAD) नहीं मिलती है, तो खाते को 31 मार्च, 2021 के आखिर में एसएमए0 के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।
- **एनएमए 1** - यदि यह लगातार ओवरड्यू रहता है, तो यह खाता लगातार ओवरड्यू रहते 30 दिन पूरे होने पर, यानी 30 अप्रैल, 2021 को एसएमए1 के रूप में चिह्नित हो जाएगा।
- **एसएमए 2** - अगर खाता ओवरड्यू रहता है, तो उसे 30 मई, 2021 को एसएमए2 के तौर पर चिह्नित कर दिया जाएगा।
- **एनपीए** - अगर खाता आगे भी ओवरड्यू रहता है, तो इसे 29 जून, 2021 को एनपीए के तौर पर वर्गीकृत कर दिया जाएगा।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने का काम लोन लेने वाले के हिसाब से किया जाता है, सहूलियत के हिसाब से नहीं। इसलिए, अगर बैंक से ली गई कोई भी सहूलियत, बकाया भुगतान न करने की वजह से एनपीए के रूप में वर्गीकृत होती है, तो लोन लेने वाले के बैंक के सभी दूसरे लोन/क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स भी एनपीए के तौर पर वर्गीकृत होंगे, और इससे बैंक को ऐसे सभी लोन/क्रेडिट कार्ड/फ़ैसिलिटीज़ वापस लेने का अधिकार होगा, भले ही उन अकाउंट्स में नियमित भुगतान होता हो।

E. कार्ड सदस्यता की समाप्ति / समर्पण / निरसन

कार्ड धारक किसी भी समय, पहले से बताकर या बिना बताए, कार्ड खाता को बंद या समर्पित कर सकता है। गलत इस्तेमाल से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्रिप नष्ट हो जाएं। कार्ड बंद करने के लिए कस्टमर सर्विस को पूरा कार्ड नंबर लिखकर या कस्टमर केयर पर कॉल करके रिक्वेस्ट की जा सकती है। सिटी यूनिजन बैंक को कार्ड अकाउंट से जुड़े सभी बकाया पेमेंट मिलने के बाद कार्ड निरसन प्रभावी हो जाएगा।

प्रोग्राम बंद होने या नवीनीकरण की दशा में, सिटी यूनिजन बैंक अपनी मर्जी से दूसरा कार्ड टाइप जारी करने का अधिकार रखता है। क्रेडिट लिमिट और कैश लिमिट सिटी यूनिजन बैंक की मर्जी पर निर्भर हैं। कार्ड आवेदन कार्ड बंद होने या नवीनीकरण के समय दिए गए किसी भी स्थानापन्न कार्ड के लिए वैध रहता है।

कार्ड खाता बंद होने के बाद भी फाइनेंस चार्ज तब तक लगते रहेंगे, जब तक बकाया ओवरड्यू राशि जमा नहीं हो जाती। अगर कोई कार्ड एक साल से ज़्यादा समय से निष्क्रिय है, तो सिटी यूनिजन बैंक कार्ड धारक को बताने के बाद कार्ड खाता बंद करने का अधिकार रखता है। अगर तय समय में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो सिटी यूनिजन बैंक कार्ड खाता (किसी भी उस खाते के लिए लिए गए दूसरे कार्ड सहित) बंद कर देगा, बशर्ते सभी बकाया का भुगतान हो गया हो।

अगर कार्ड बंद करते समय किसी कार्ड धारक का रिवॉर्ड पॉइंट्स शेष नकारात्मक है, तो उसके बराबर मूल्य राशि खाता विवरण के नामे डाली जाएगी और कार्ड धारक को दूसरे बकाया के साथ इसका

भुगतान करना होगा। कोई भी एनुअल, जॉइनिंग या रिन्यूअल शुल्क यथानुपात आधार पर वापस नहीं की जाएगी।

अगर सिटी यूनियन बैंक को लगता है कि बिज़नेस या सुरक्षा कारणों से और / या किसी कानून लागू करने वाली एजेंसी, और/या किसी सरकारी प्राधिकारी के कहने पर और/या सिटी यूनियन बैंक और उसके ग्राहकों पर लागू होने वाले कानूनों और नियमों के तहत यह ज़रूरी है तो सिटी यूनियन बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना कार्ड धारक को खाता के उपयोग पर रोक लगा सकता है, उसे खत्म कर सकता है या वर्खास्त कर सकता है,

कार्ड धारक की मृत्यु, दिवालिया होने / खत्म होने / दिवालियापन/ या कार्ड धारक की कॉर्पोरेट बॉडी के बंद होने पर, कार्ड धारक को जारी किया गया कार्ड और साथ ही उसी खाते के लिए जारी अतिरिक्त कार्ड स्वतः निरस्त हो जाएगा। कार्ड खाते की बकाया सभी राशि, मौत, दिवालिया होने, बंद होने या सरकार / रेगुलेटरी बॉडी के निर्देश पर, जैसा भी मामला हो, तुरंत बकाया मानी जाएगी, और सिटी यूनियन बैंक को कार्ड धारक द्वारा सभी बकाया रकम तुरंत चुकाने की ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, लागू कानूनों के अनुसार उसे वसूलने का अधिकार होगा।

अगर किसी कॉर्पोरेट बॉडी पर कोई विलयन या प्रतिष्ठान समेटने की कानूनी कार्रवाही चल रही है, या अगर कोई सरकारी/नियामक बॉडी का कोई ऑर्डर लागू है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को उस कॉर्पोरेट बॉडी को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोकता है, तो उस कॉर्पोरेट बॉडी के कर्मचारियों को जारी किए गए सभी कॉर्पोरेट कार्ड बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दिए जाएंगे। सिटी यूनियन बैंक ऐसे निरसन से होने वाले किसी भी दावे के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। सभी कार्ड्स को निर्धारित विधि से नष्ट करके रद्द करना होगा और इन कार्ड्स पर बकाया सभी राशि तत्काल जमा करना होगा।

F. कार्ड खो जाना/चोरी हो जाना/दुरुपयोग होना

अगर कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए, या खराब हो जाए, अगर किसी अन्य के पास पिन या दूसरी सुरक्षा संबंधी जानकारी हो, या कार्ड बिना अनुमति इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो कार्ड धारक को बिना इजाज़त वाले लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत सिटी यूनियन बैंक को 18001205000 (आईवीआर) पर या किसी भी दूसरे माध्यम से बताना होगा। सबसे पास के पुलिस स्टेशन में पुलिस शिकायत / प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करानी होगी, और उसकी एक कॉपी सिटी यूनियन बैंक को जमा करनी होगी।

कार्ड होल्डर आईवीआर या ई-मेल से भी कार्ड को तुरंत ब्लॉक करा सकता है।

- फोन बैंकिंग नंबर क्रेडिट कार्ड हेल्पलाइन:18001205000 (TOLLFREE) /0447122 5000
- ई-मेल पता: creditcardsupport@cityunionbank.in

आपके क्रेडिट कार्ड खाते का संपर्क विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल है, में बदलाव होने पर, प्रणाली में आपकी नई और पिछले संपर्क विवरण को डाल दिया जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी मौजूद संपर्क विवरण, जिसमें मोबाइल नंबर भी शामिल है, हमारे अभिलेख में अद्यतन रखें।

गलत उपयोग होने पर, सिटी यूनियन बैंक की ज़िम्मेदारी गुम/चोरी कार्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर की गई रकम तक ही होगी, बशर्ते पॉलिसी के नियम और शर्तें पूरी हों। अगर कार्ड होल्डर धोखाधड़ी करता है, बिना किसी सावधानी काम करता है या एटीएम लेन-देन या पिन/पासवर्ड/औटीपी/एम पिन/सीवीवी का प्रयोग कर किए गए लेन-देन में कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है, तो इसके लिए वह पूरी तरह ज़िम्मेदार होगा।

कार्ड धारक, सिटी यूनियन बैंक को किसी भी देयता (सिविल या क्रिमिनल), नुकसान, लागत, खर्च या क्षति के लिए पूरा हर्जाना देता है, जो कार्ड के खोने या गलत इस्तेमाल की वजह से हो सकता है, अगर यह खो जाता है और बैंक को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है या बैंक को बताने से पहले खो जाता है और इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है।

G. शिकायत निवारण

स्तर	संपर्क व्यक्ति/विभाग	संपर्क विवरण
स्तर 1	ग्राहक सेवा	फोन नंबर • 18001205000 (टोल-फ्री) • 04471225000 ई-मेल: creditcardsupport@cityunionbank.in मेलिंग पता : सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, नया नंबर 6, पुराना नंबर 26, मोहनपुरी 5वीं स्ट्रीट, आदमबक्कम, चेन्नई – 600088
स्तर 2	शिकायत सेल	ई-मेल: complaints_grievances@cityunionbank.in मेलिंग पता: सिटीयूनियन बैंक लिमिटेड, नं..24बी, गांधी नगर, कुंभकोनम– 612001
स्तर 3	प्रधान नोडल अधिकारी श्री जी सतीस कुमार महाप्रबंधक – ग्राहक अनुभव विभाग	फोन: • 04471225000 • 18001205000(Toll-Free) ई-मेल: complaints_grievances@cityunionbank.in मेलिंग पता: City Union Bank Ltd, No.24B, GandhiNagar, Kumbakonam– 612001

- आरबीआई लोकपाल ईमेल एड्रेस: ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया नीचे दिया गया लिंक देखें:
<https://cityunionbank.bank.in/ombudsman-scheme>

बंद करने/समर्पण के लिए

- ई-मेल पता: creditcardsupport@cityunionbank.in
- समर्पित टोल फ्री फोन नंबर: 18001205000
- आईवीआरएस टेली नंबर : 04471225000

हानि/चोरी/दुरुपयोग की रिपोर्ट करना

- फोन बैंकिंग नंबर : CreditCardHelpline:18001205000(TOLLFREE)/04471225000
- ई-मेल पता : creditcardsupport@cityunionbank.in
- समर्पित टोल फ्री टेली नंबर: 18001205000
- आईआईएस संपर्क नंबर : 04471225000

- मेलिंग पता: सिटी यूनिन बैंक लिमिटेड, नया नंबर 6, पुराना नंबर 26, मोहनपुरी 5वीं स्ट्रीट, आदमबक्कम, चेन्नई – 600088.

H. प्रकटीकरण

सिटी यूनिन बैंक आरबीआई द्वारा प्राधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ टाई-अप कर सकता है और क्रेडिट की जानकारी साझा करेगा, जिसमें आपका अद्यतन जमा, भुगतान संबंधी विवरण, डेमोग्राफिक विवरण आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। क्रेडिट ब्यूरो इस बारे में कोई राय, संकेत या कमेंट नहीं देते कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर ज़रूरी बकाया अदा कर एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाए रखना आपके हित में है। क्रेडिट ब्यूरो होने से, ज़िम्मेदार ग्राहक क्रेडिट देने वालों से बेहतर शर्तों पर तेज़ और ज़्यादा अच्छी सर्विस की उम्मीद कर सकते हैं। ग्राहक के किसी भी चूक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को मिलेगी, जिससे भविष्य की ज़रूरतों के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता पर असर पड़ेगा। सिटी यूनिन बैंक हर महीने या सिटी यूनिन बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच तय समय पर ग्राहक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देगा। अगर सिटी यूनिन बैंक के संज्ञान में कोई बिलिंग विवाद आता है, तो सिटी यूनिन बैंक विवाद सुलझने तक क्रेडिट ब्यूरो को आख्या भोजना रोक देगा।

कार्ड धारक यह मानता है कि सिटी यूनिन बैंक को कार्ड धारक/बाद में जुड़े कार्ड धारक से जुड़ी जानकारी साझा करने का अधिकार है, जिसमें कार्ड धारक द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में की गई किसी भी चूक से जुड़ी जानकारी भी शामिल है, जैसा कि सिटी यूनिन बैंक सही और ज़रूरी समझे, यह जानकारी सिटी यूनिन बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए किसी भी वर्तमान या आगे जुड़ने वाले क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा की जा सकती है। इसलिए, बाद में जोड़े गए कार्ड धारक (कों) की तरफ़ से ऐसे क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी देने की मंजूरी दी हुई मानी जाती है। ऐसी एंटीटीज़ संसाधित जानकारी, डेटा या उसके प्रोडक्ट्स बैंकों/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स और दूसरे क्रेडिट देने वालों को भी उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां, या आरबीआई द्वारा बनाई गई और प्राधिकृत कोई भी दूसरी एंटीटी शामिल होती है, जो उधार लेने वालों से जुड़ी क्रेडिट जानकारी इकट्ठा करने, तुलना करने और सभी तक फैलाने के मकसद से होती है।

यदि कार्ड धारक सिटी यूनिन बैंक/उसके एसोसिएट्स/सब्सिडियरीज़/एजेंट्स से कोई डायरेक्ट मार्केटिंग या टेली-कॉलिंग/टेली सेल्स कॉल्स नहीं लेना चाहता है, तो कार्ड धारक 'ट्राई' वेबसाइट पर दिए विवरण के अनुसार 'प्रोवाइडर कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्टर' में रजिस्टर करके ऑन-आउट कर सकता है।

सिटी यूनिन बैंक दूसरे मर्चेन्ट्स/कॉर्पोरेट के साथ मिलकर को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड देता है। इस अनुबंध के तहत सिटी यूनिन बैंक पार्टनर मर्चेन्ट/कॉर्पोरेट के साथ राजस्व/शुल्क बांट सकता है। कार्ड धारक साफ़ तौर पर सिटी यूनिन बैंक को भर्ती, कार्ड फ़ीचर की जरूरतों को पूरा करने, मार्केटिंग, व्यापार बढ़ाने वाली गतिविधियों और लाभ पाने के मकसद से को-ब्रांड पार्टनर्स के साथ उनको साझा की गई जानकारी साझा करने और बताने की मंजूरी देते हैं। यह एयरलाइन, रिटेलर्स और दूसरे सेवा प्रदाता सहभागियों के साथ जारी किए गए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा।

सिटी यूनिन बैंक कई तरह के फीचर्स और लाभदायक क्रेडिट कार्ड भी देता है। इस प्रावधान के लिए, सिटी यूनिन बैंक कार्ड धारक को प्रोडक्ट फीचर्स/बेनिफिट्स/दूसरी वैल्यू-एडेड सेवाएं जैसे वाउचर, डिस्काउंट, कैश बैक, मेंबरशिप, और इंश्योरेंस ऑप्शन जैसे कार्ड प्रोटेक्शन प्लान, क्रेडिट शील्ड, हेल्थ प्लान, वगैरह देने के लिए करार पर अलग-अलग सेवा प्रदाताओं को काम पर रखता है। कार्ड धारकों ने सिटी यूनिन बैंक को स्पष्ट सहमति दी है और उसे कार्ड धारक का व्यक्तिगत डेटा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी शामिल है, सिटी यूनिन बैंक के प्राधिकृत सेवा प्रदाता को भर्ती, कार्ड फीचर फुलफिलमेंट, मार्केटिंग, प्रमोशनल एक्टिविटीज़, और बेनिफिट रिडेम्पशन के मकसद से पाने, इकट्ठा करने, प्रोसेस करने, रिकॉर्ड करने, शेयर करने, और बताने के लिए अधिकृत किया है।

बैंक कुछ खास क्रेडिट कार्ड पर प्रशंसनीय वायु दुर्घटना/स्वयं की दुर्घटना पर बीमा सुरक्षा देता है। यह बीमा रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देती है, जो पूरी तरह से दावा भुगतान के लिए ज़िम्मेदार है। बीमा सुरक्षा कार्ड सक्रियण की तिथि से शुरू होगा। बीमा कंपनी की पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुसार, 18 से 65 साल के ग्राहकों को बीमा सुरक्षा उपलब्ध है। बैंक किसी भी दावे संबंधी विवाद या समाधान के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के बीमा प्रदाता बदलने का अधिकार रखता है। बीमा सुरक्षा, नामन प्रोसेस और दावा लेने वाले के

संपर्क की जानकारी बीमा कंपनी के पास उपलब्ध है। जब नियम के हिसाब से ज़रूरी होगा कार्ड धारक की सहमति और आरबीआई दिशा-निर्देशानुसार नामन की जानकारी, बीमा कंपनी द्वारा अभिलिखित और अनुरक्षित की जाएगी।

इंश्योरेंस पार्टनर का संपर्क विवरण:

रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.

वेबसाइट: www.royalsundaram.in

कॉन्टैक्ट सेंटर: 18604250000(टोलफ्री)

ईमेल: cub.claims@royalsundaram.in

1. कार्डहोल्डर सिटी यूनियन बैंक को स्पष्ट सहमति देता है कि वह क्रेडिट कार्ड पर ज़रूरी बीमा सुरक्षा देना प्रोसेस करने के लिए उसका व्यक्तिगत डेटा प्राधिकृत सेवा प्रदाता और/या गठजोड़ वाली बीमा कंपनियों के साथ साझा करें।
2. सिटी यूनियन बैंक कार्ड धारक की निजता सुरक्षित रखने को प्रतिबद्ध है। व्यक्तिगत डेटा सिर्फ अधिकृत सेवा प्रदाता और/या गठजोड़ वाली बीमा कंपनियों के साथ ही वर्तमान डेटा सुरक्षा कानूनों और नियमों के अनुसार होगी
3. सिटी यूनियन बैंक इसकी पुष्टि करता है कि ऐसे कॉल्स की फ्रीकेंसी तर्कसंगत और प्रासंगिक नियमों के अनुसार होगी। सिटी यूनियन बैंक कार्ड धारक को बिना किसी असुविधा ज़रूरी जानकारी देने का प्रयास करता है।
4. सिटी यूनियन बैंक इन नियम व शर्तों को बदलने का अधिकार रखता है, और इनमें किसी भी बदलाव की जानकारी कार्ड धारक को उचित माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

कार्ड धारक को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड अनुमोदन में लगने वाला समय अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आवेदन करने की तारीख से क्रेडिट कार्ड वितरण टीएटी 14 दिन होगी।

कार्ड धारक यह मानता है कि उसने क्रेडिट कार्ड आवेदन में अपने नाम से पंजीकृत मोबाइल नंबर दिया है। अगर बाद में पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड आवेदन के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर कार्ड धारक के नाम पर पंजीकृत नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड पर मोबाइल नंबर से की गई किसी भी गतिविधि/लेन-देन के लिए वह खुद ज़िम्मेदार होगा।

सिटी यूनियन बैंक, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ़ इंडिया (बीसीएसबीआई) का सदस्य है। बीसीएसबीआई कोड के तहत हमारी प्रतिबद्धता देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट के होमपेज पर जाएँ।

विवाचन धारा (आरबिट्रेशन क्लॉज)

इस करार से उत्पन्न होने वाले सभी झगड़े, मतभेद, और/या दावे या सवाल, या किसी भी तरह से इससे जुड़े या इससे संबंधित, या इसके मतलब के, या इसके तहत पार्टियों के अधिकारों, ज़िम्मेदारियों और देनदारियों से जुड़े, आर्बिट्रेशन के लिए भेजे जाएंगे और उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से होगा, जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, 1996 के नियमों, या इसके किसी भी कानूनी बदलाव के अनुसार, सिटी यूनियन बैंक द्वारा नॉमिनेट किए गए एकल आर्बिट्रटर द्वारा किया जाएगा। आर्बिट्रटर के तौर पर काम करने के लिए चयनित व्यक्ति की मृत्यु, अनिच्छा, इनकार, अनदेखी, असमर्थता या अक्षमता की स्थिति में, सिटी यूनियन बैंक एकल आर्बिट्रटर के तौर पर काम करने के लिए एक नया आर्बिट्रटर नियुक्त कर सकता है। आर्बिट्रटर को फैसले के लिए कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी, और आर्बिट्रटर का फैसला आखिरी होगा और सभी संबंधित पार्टियों पर लागू होगा। आर्बिट्रेशन की कार्रवाई सिर्फ चेन्नई में होगी।

निषेध उपधारा

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर या किसी और प्रकार से प्रतिबंधित चीजों की खरीद जैसे, लॉटरी टिकट, बैन या प्रतिबंधित मैगज़ीन, घुड़दौड़ वाले जुआ में हिस्सा लेने, कॉल बैक सर्विस के लिए भुगतान करने, और/या ऐसी चीजों/गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज आहरण की अनुमति नहीं है।

फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम)

- a. भारत के बाहर लेन-देन के लिए कार्ड का उपयोग लागू कानूनों के अनुसार किया जाना चाहिए, जिसमें आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट शामिल हैं। ऐसा न करने पर, आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
- b. इलेक्ट्रॉनिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के ज़रिए विदेशी फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसा करना मना है। ज़्यादा जानकारी के लिए, कृपया सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट पर जाएँ।
- c. यह कार्ड भारत और विदेश, दोनों जगहों पर उपयोग के लिए मान्य है। हालाँकि, यह नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में लेन-देन के लिए मान्य नहीं है।

कार्ड खाते में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन

1. सिटी यूनियन बैंक उन कार्ड धारकों को इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन की सुविधा (एटीएम से कैश निकालने के अतिरिक्त) नहीं देगा, जो बैंक को अपना वैज्ञ मोबाइल नंबर नहीं देंगे।
2. अगर कार्ड धारक को उपलब्ध कराए गए किसी भी खाता विवरण या अभिलेख में लेन-देन या जमा की जानकारी में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो कार्ड धारक को सात (7) दिनों के अंदर सिटी यूनियन बैंक को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
3. अगर सिटी यूनियन बैंक को सात (7) कार्य दिवसों के बाद इसके उलट कोई जानकारी मिलती है, तो कार्ड धारक की ज़िम्मेदारी सिटी यूनियन बैंक के बोर्ड द्वारा -मंजूर नीति के अनुसार तय की जाएगी, जो सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. इन नियमों और शर्तों के तहत सिटी यूनियन बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या दस्तावेज़ी रूप में रखे गए आपके निर्देशों और अन्य विवरणों (जिनमें भुगतान करना या प्राप्त करना शामिल है, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के सभी रिकॉर्ड, उन निर्देशों और अन्य विवरणों का पक्का सबूत माने जाएंगे।
6. रिपोर्ट करते समय और/या कार्ड खाते पर किए गए लेन-देन या कार्ड खाते से जुड़े किसी भी मामले को लेकर कोई विवाद होने पर, सिटी यूनियन बैंक के पास विवादित लेन-देन के समय और/या उसकी असलियत का पता लगाने का अधिकार होगा। अगर आपके कार्ड खाते में किसी तीसरे पक्ष की धोखाधड़ी की वजह से कोई अनधिकृत लेन-देन होता है, या अगर उस धोखाधड़ी में आपकी कोई भूमिका नहीं है, तो आपकी ज़िम्मेदारी आरबीआई के इस सर्कुलर: “कस्टमर प्रोटेक्शन – लिमिटेड लॉयबिलिटी आफ कस्टमर्स अनअथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शनस” में दिए गए निर्देश के अनुसार तय होगी। समय-समय पर संशोधित नियमों में किए गए कोई भी बदलाव लागू और बाध्यकारी होंगे।
7. कस्टमर केयर/कस्टमर की शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क विवरण हेतु, कृपया सिटी यूनियन बैंक की वेबसाइट www.cityunionbank.bank.in देखें।

सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड

1. फिक्स्ड डिपॉज़िट, कार्ड धारक की सिटी यूनियन बैंक को सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड या बैंक द्वारा मंजूर की गई किसी अन्य सुविधा के तहत देय सभी राशियों के अंतिम जमा के लिए लगातार प्रतिभूति के रूप में

काम करेगी।

2. अगर भुगतान में चूक होती है या क्रेडिट सुविधा (सुविधाओं) का पैसा मांगने पर वापस नहीं किया जाता है, तो सिटी यूनियन बैंक फिक्स्ड/टर्म डिपॉजिट को समय से पहले भुनाने, या किसी भी समय दी गई या रखी गई सिक्योरिटीज़/फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट को सेट-ऑफ या ज़ब्त करने, या सिटी यूनियन बैंक की नज़र में उचित तरीके से उन्हें ट्रांसफर/असाइन या री-असाइन करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा सकता है। साथ ही, सिटी यूनियन बैंक या उसकी किसी भी शाखा में कार्ड धारक के अकाउंट में मौजूद देनदारियों को चुकाने के लिए शुद्ध राशि का उपयोग कर सकता है।
3. सिटी यूनियन बैंक को यह अधिकार है कि वह कार्ड धारक की पात्रता के आधार पर, अपनी मर्ज़ी से, सिक्योरिटी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट से 'लियन' (lien) हटा सकता है।

अस्वीकरण :

सिटी यूनियन बैंक, उसके कर्मचारी, एजेंट या ठेकेदार किसी भी तरह के नुकसान या क्षति (चाहे वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो या परिणामी हो) के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इसमें राजस्व, मुनाफ़ा, व्यापार, करार, अनुमानित बचत या साख का नुकसान; किसी उपकरण (सॉफ्टवेयर सहित) के इस्तेमाल या उसके कीमत का नुकसान शामिल है, चाहे वह नुकसान पहले से पता हो या न हो। यह नुकसान तब हो सकता है जब बैंक अनुरोधों को प्राप्त करने और प्रोसेस करने, जवाब तैयार करने और भेजने में देरी, रुकावट, सस्पेंशन, समाधान या गलती करता है; या जब उपभोक्ता के टेलीकम्युनिकेशन उपकरण और किसी सेवा प्रदाता के नेटवर्क और बैंक की प्रणाली के बीच कोई जानकारी या संदेश भेजने में विफलता, देरी, रुकावट, सस्पेंशन, पाबंदी या गलती होती है; या जब उपभोक्ता के टेलीकम्युनिकेशन उपकरण, बैंक की प्रणाली, या किसी सेवा प्रदाता और/या ऐसी सेवाएँ देने वाली किसी तीसरी पार्टी के नेटवर्क में कोई खराबी, रुकावट, सस्पेंशन या विफलता होती है।

सिटी यूनियन बैंक अपने उत्पादों के संबंध में ज़रूरत पड़ने पर, अपनी मर्ज़ी से बाहरी सेवा प्रदाता(ओं) या एजेंट की सेवाएँ ले सकता है।

- सिटी यूनियन बैंक 21 कामकाजी दिनों में आवेदन फ़ॉर्म की वस्तु सिथिति बताएगा।
- सिटी यूनियन बैंक कभी भी किसी डील, उपहार, वाउचर, रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन, कार्ड सक्रिय करने या निरस्त करने के लिए कार्ड का सीवीवी, पिन, ओटीपी या इंटरनेट पासवर्ड नहीं मांगेगा। कृपया कॉल या ईमेल पर ऐसी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज़ करें। ऐसा कोई भी संपर्क करने से पहले सिटी यूनियन बैंक के संपर्क नंबरों को आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर देख लें।
- किसी भी ऑनलाइन/ई-कॉमर्स लेन-देन आरंभ करने से पहले वेबसाइट और/या पोर्टल की असलियत की जाँच ज़रूर कर लें। ऐसी फ़र्ज़ी वेबसाइटों से सावधान रहें जो आपसे आपके पैसे की धोखाधड़ी कर सकती हैं।

बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड ग्राहक के निजी उपयोग के लिए है। बैंक किसी तीसरे पक्ष की ओर से या उसके फ़ायदे के लिए किए गए लेन-देन को बढ़ावा या समर्थन नहीं देता है।

इंटरनेशनल लेन-देन के मामले में मर्चेंट रिफ़ंड या विवाद होने पर, करेंसी के उतार-चढ़ाव से होने वाले किसी भी दर के अंतर का खर्च ग्राहक को वहन करना होगा।